




वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
उत्तर पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान
 जोरहाट -785006, असम
 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार)



विज्ञापन क्रमांक : 01/2026-REC

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि :	05.05.2025
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि:	04.06.2026

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय के अंतर्गत सीएसआईआर-उत्तर पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहाट एक प्रमुख संस्थान है। यह संस्थान भारत की जनता के आर्थिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक लाभ हेतु विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में मूलभूत तथा अनुप्रयुक्त प्रकृति के बहुविषयक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों में संलग्न है। यह संस्थान विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियों को संचालित करने के लिए अत्याधुनिक विश्लेषणात्मक और अन्य उपकरणों, प्रयोगशालाओं और प्रायोगिक सुविधाओं से सुसज्जित है।

सीएसआईआर-एनईआईएसटी निम्नलिखित पदों के लिए उत्साही, युवा, गतिशील और प्रतिभाशाली नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

पद का नाम	पदों की संख्या एवं आरक्षण स्थिति	आवश्यक योग्यता	वांछनीय योग्यता	वेतन मैट्रिक्स स्तर और कुल परिलब्धियाँ*	ऊपरी आयु सीमा (वर्ष)**
मल्टी टास्किंग स्टाफ (पोस्ट कोड : MTS)	कुल पदों की संख्या: 09 यूआर - 04 ईडब्ल्यूएस - 01 ओबीसी (एनसीएल) - 02 एससी - 01 एसटी - 01 [उपर्युक्त 09 पदों में से दो पद दिव्यांगजनों(पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षित हैं; दो पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं]	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष उत्तीर्ण	इंटरमीडिएट (12वीं कक्षा) पास	स्तर-1 (रु. 33,375 लगभग)	25

पद का नाम	पदों की संख्या एवं आरक्षण स्थिति	आवश्यक योग्यता	वेतन मैट्रिक्स स्तर और कुल परिलब्धियाँ*	ऊपरी आयु सीमा (वर्ष)**
ड्राइवर (गैर-तकनीकी) (पोस्ट कोड : DR)	01 (यूआर)	i. एलएमवी और एचएमवी के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना । ii. मोटर तंत्र का ज्ञान (उम्मीदवार को वाहन में छोटे-मोटे दोषों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए) iii. कम से कम 3 वर्ष का मोटर कार चलाने का अनुभव। iv. मैट्रिकुलेशन या समकक्ष उत्तीर्ण ।	स्तर-2 (रु. 36,700 लगभग)	27

* स्वीकार्य भत्ते सहित न्यूनतम वेतनमान पर कुल अनुमानित परिलब्धियाँ।

** जहां भी लागू हो, आयु में छूट सीएसआईआर/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाएगी।

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर : यूआर - अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ओबीसी (एनसीएल) - अन्य पिछड़ा वर्ग(गैर-क्रीमी लेयर), एससी - अनुसूचित जाति, एसटी - अनुसूचित जनजाति, एलएमवी - लाइट मोटर व्हीकल, एचएमवी - हैवी मोटर व्हीकल, पीडब्ल्यूबीडी - बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति।

दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त पद :

पद और आरक्षण स्थिति	कार्यात्मक आवश्यकता	बेंचमार्क दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणी
मल्टी-टास्किंग स्टाफ (2 पद): • श्रेणी (ग) के लिए एक ; • श्रेणी (घ) और श्रेणी (ङ) के लिए एक।	एस, एसटी, डब्ल्यू बीएन, आरडब्ल्यू, एसई, एच, सी	(ग) ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई; (घ) एसडी(एम), एसएलडी, एमआई; (ङ) एमडी
• ड्राइवर का पद दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त नहीं है ।		

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर : ओए: एक हाथ; बीए: दोनों हाथ; ओएल: एक पैर; बीएल: दोनों पैर; ओएएल: एक हाथ और एक पैर; सीपी: सेरेब्रल पाल्सी; एलसी: लेप्रोसी क्युर्ड; डीडब्ल्यू : बौनापन; एएवी: एसिड अटैक पीड़ित; एमडीवाई : मस्कुलर डिस्टॉफी; एसडी (एम): ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (हल्का); एसएलडी: स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी; एमआई : मानसिक बीमारी; एमडी : बहु-दिव्यांगता - पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों (क) से (घ) में से दो या दो से अधिक अलग अलग-दिव्यांगताएँ; एस: बैठना, एसटी: खड़े होना, डब्ल्यू: चलना, बीएन: झुकना, आरडब्ल्यू: पढ़ना और लिखना, एसई: देखना, एच: सुनना, सी: कम्युनिकेशन।

नोट: निदेशक, सीएसआईआर-एनईआईएसटी को प्रशासनिक कारणों से, या बिना कोई कारण बताए, किसी भी स्तर पर उपर्युक्त किसी भी या सभी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने या चयन के तरीके/किसी भी अन्य चीज़ में बदलाव करने का अधिकार है।

▪ **पदों का विवरण :**

डाक	पद की ज़रूरतें / कार्य विवरण
<p>मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • अनुभाग के अभिलेखों का भौतिक रख-रखाव। • अनुभाग की सामान्य सफ़ाई और रख-रखाव। • फ़ाइलों और डॉक्यूमेंट्स को दूसरे अनुभाग में ले जाना। • फोटोकॉपी करना, फैक्स भेजना, वगैरह। • डाक पहुंचाना। • अनुभाग खोलना और बंद करना। • मेहमानों के लिए चाय, कॉफी, स्नैक्स वगैरह तैयार करना और देना। • गेस्ट हाउस के रिकॉर्ड्स का भौतिक रख-रखाव। • गेस्ट हाउस चार्ज का कलेक्शन और पेमेंट। • कमरों की सामान्य सफ़ाई और रखरखाव। • वॉशरूम वगैरह समेत ऑफिस की सफ़ाई। • गेस्ट की शिकायतों, सवालों और ज़रूरतों पर ध्यान देना। • गार्डन और ग्रीन स्पेस का रखरखाव। • पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना, साथ ही बगीचे के कामों का रखरखाव करना जैसे लॉन की घास काटना, झाड़ियों की छंटाई करना, निराई करना और कचरा साफ़ करना। • पानी देना, खाद डालना और पेस्ट कंट्रोल। • वर्क एरिया के रिकॉर्ड्स का फिजिकल मेटेनेंस, स्टॉक एंट्री। • अगर ज़रूरत पड़ी, तो मौजूदा कर्मचारी को शिफ्ट ड्यूटी में काम करना पड़ सकता है। • प्लंबिंग, बढ़ईगीरी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम या मेसनरी के काम में बेसिक मरम्मत में मदद करना। • काम की जगह तैयार करना और साफ़ करना, कंस्ट्रक्शन का सामान हटाना, और औज़ारों या सामान को लोड/अनलोड करना • सक्षम प्राधिकारी/वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य/जॉब।
<p>ड्राइवर (DR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • लोगों और/या सामान को सुरक्षित और आराम से ले जाने के लिए एलएमवी के साथ-साथ एचएमवी चलाना। • गाड़ी को साफ़, सुथरा और मैकेनिकली सड़क पर चलने लायक रखना। • काबिल अथॉरिटी/सीनियर ऑफिसर्स द्वारा समय-समय पर दिया गया कोई दूसरा काम/जॉब।

A. सामान्य जानकारी, नियम और शर्तें:

1. परिषद सेवा के अंतर्गत लाभ :

- a. इन पदों पर सामान्य भत्ते, जैसे कि महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), परिवहन भत्ता (टीए) आदि, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय हैं, वे सीएसआईआर के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। परिषद के कर्मचारी

भी सीएसआईआर आवंटन नियमों के अनुसार उपलब्धता के आधार पर अपने हक के अनुसार आवास के लिए पात्र हैं, ऐसी स्थिति में एचआरए देय नहीं होगा।

- b. प्रत्येक पद श्रेणी के समक्ष दर्शाए गए परिलब्धियों के अतिरिक्त, सीएसआईआर के नियमों के अनुसार चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत, पर्सनल कंप्यूटर अग्रिम और गृह निर्माण अग्रिम जैसे लाभ उपलब्ध हैं।
- c. सभी नए प्रवेशकों को, सीएसआईआर द्वारा नए प्रवेशकों के लिए परिभाषित अंशदान के आधार पर **“राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली”** लागू होगी। तथापि, अन्य सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से चयनित व्यक्ति, जो 01.01.2004 से पहले शामिल हुए थे और जिनके पास भारत सरकार की तर्ज पर पेंशन योजना है, वे नियमों के अनुसार मौजूदा पेंशन योजना अर्थात् सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियमों के द्वारा शासित होते रहेंगे।

2. अन्य शर्तें:

- a. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- b. सभी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक पद की अनिवार्य आवश्यकताओं और विज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले स्वयं आश्वस्त हो लें कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उनके पास विभिन्न पदों के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यताएं मौजूद हैं।
- c. निर्धारित आवश्यक योग्यताएं न्यूनतम हैं और मात्र इनके होने से अभ्यर्थी को ट्रेड टेस्ट/प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता। विधिवत गठित स्क्रीनिंग समिति उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए अपने स्वयं के मानदंड अपनाएगी। इसलिए, अभ्यर्थी को आवेदन में संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त सभी योग्यताओं और अनुभवों का उल्लेख करना चाहिए, तथा दस्तावेजों के साथ इसकी पुष्टि करनी चाहिए। डिग्री की पूर्णता अनंतिम प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से मानी जाएगी।
- d. निर्धारित योग्यताएं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों से प्राप्त की गई होनी चाहिए। अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें **सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया।**
- e. आवश्यक योग्यताओं में समकक्षता खंड के संबंध में, यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार किसी विशिष्ट योग्यता को समकक्ष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है, तो अभ्यर्थी को इस संबंध में आदेश/पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उस प्राधिकारी का उल्लेख हो (संख्या और दिनांक सहित) जिसके अंतर्गत उसे समकक्ष योग्यता माना गया है, अन्यथा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। योग्यता(ओं) की समकक्षता और विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मान्यता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर-एनईआईएसटी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- f. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाणपत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।
- g. भारत सरकार के निर्देशों के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले दिव्यांगजनों (PwBD) को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। PwBD के लिए भर्ती की प्रक्रिया CSIR OM नंबर 5-1(39)/2008-PD दिनांक 04.12.2025 के अनुसार होगी।
- h. आवेदन में दी गई जानकारी और मूल दस्तावेजों में दी गई जानकारी के बीच कोई भी विसंगति पाए जाने पर उम्मीदवार को कौशल परीक्षा/प्रतियोगी लिखित परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- i. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका और कौशल परीक्षा/प्रतियोगी लिखित परीक्षा के संचालन से संबंधित सभी मामलों में **निदेशक, सीएसआईआर-एनईआईएसटी, जोरहाट** का निर्णय अंतिम होगा।

तथा उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। निदेशक को सीएसआईआर/भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार परीक्षा की प्रक्रिया में परिवर्तन करने का अधिकार है।

- j. **किसी भी रूप में सिफ़ारिश करना और/या राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार का प्रभाव डालना पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।**
- k. सक्षम प्राधिकारी को इस विज्ञापन में संशोधन करने, नियम व शर्तें हटाने और जोड़ने का अधिकार है।
- l. संबंधित श्रेणी के आरक्षित पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन के समय एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रासंगिक नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- m. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र/जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, अपलोड करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।
- n. कौशल परीक्षा/प्रतियोगी लिखित परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक प्रमाण पत्र मांगे जाने पर, कौशल परीक्षा/प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए चुने गए सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि को या उससे पहले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में प्रासंगिक प्रमाण पत्र जैसे मार्कशीट, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा न करने पर ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी इस संस्थान द्वारा रद्द कर दी जाएगी।
- o. जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हैं या आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें कौशल परीक्षण/प्रतियोगी लिखित परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय इस संस्थान द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- p. अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि उपरोक्त के संबंध में उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती।
- q. चयनित उम्मीदवारों को पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल के लिए प्रोबेशन पर रखा जाएगा। प्रोबेशन की अवधि को सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर-एनईआईएसटी, अपने विवेक से बढ़ा या घटा सकते हैं।
- r. ड्राइवर के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास, वैध ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद, कम से कम तीन साल तक मोटर कार चलाने का अनुभव होना चाहिए।
- s. जो उम्मीदवार अभी सीएसआईआर/ सरकारी संगठन/स्वायत्त निकाय/ सांविधिक निकाय/विश्वविद्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि में स्थायी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय अपने डिपार्टमेंट या कार्यालय को बताना होगा और अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र/ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट" (NOC) प्राप्त करके दिए गए फॉर्मेट में अपलोड करना। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- t. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के साथ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी चाहिए।
- u. मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पद पर सीएसआईआर में "मल्टी-टास्किंग स्टाफ के लिए भर्ती नियम" के तहत भर्ती होती है, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है। ड्राइवर के पद पर सीएसआईआर में "ड्राइवर के पदों के लिए भर्ती नियम" के तहत भर्ती होती है, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है। इसलिए, यहां बताए गए नियमों और शर्तों के अलावा, अन्य सभी नियम और शर्तें उक्त भर्ती नियमों के अनुसार लागू होंगी।

- v. इन पदों पर केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965, और अन्य सेवा नियम, जो परिषद सेवक पर लागू होते हैं, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है, इनके तहत नियुक्ति होती है। उनकी लागू होने की योग्यता पर सीएसआईआर का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- w. उम्मीदवारों को यह बताना होगा कि क्या उनका कोई खून का रिश्तेदार/करीबी रिश्तेदार [काउंसिल कर्मचारी के संबंध में पत्नी या पति, बेटा या बेटी, माता-पिता, भाई या बहन या इनमें से किसी से भी खून या शादी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति शामिल है, चाहे वे काउंसिल के कर्मचारी पर निर्भर हों या नहीं] सीएसआईआर-एनईआईएसटी या सीएसआईआर की किसी अन्य नेशनल लैब/संस्थान/यूनिट में काम कर रहा है।
- x. इस विज्ञापन के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण में किसी भी प्रकार की असंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

B. आयु में छूट:-

- I. सीएसआईआर के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5-1(151)/2012-पीडी दिनांक 05.03.2026 और सीएसआईआर पत्र संख्या 17/92/8/2000-ईआईआई दिनांक 30.01.2003 के अनुसार, इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए विभागीय उम्मीदवारों या केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों के अधीन कार्यरत उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है।
- II. अनुसूचित जाति [एससी] / अनुसूचित जनजाति [एसटी] के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैरक्रीमी लेयर-) [ओबीसी (एनसीएल)] के लिए 03 वर्ष की छूट दी जाएगी, लागू सरकारी आदेशों के अनुसार, केवल उन मामलों के संबंध में जहां पद / रिक्तियां संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं।
- III. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) के वे अभ्यर्थी जो अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें उन पदों के संदर्भ में आयु में छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा, जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/1/98-Estt. (Res) दिनांक 01.07.1998 के अनुसार निर्धारित है, और ऐसे मामलों में उन्हें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के समान माना जाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में पात्र अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क में छूट लागू होगी।
- IV. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र के साथ अपने प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी। यह प्रमाणपत्र भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र अधिकृत सक्षम प्राधिकारी, जैसे कि एसडीओ, जिला मजिस्ट्रेट, या उपायुक्त, द्वारा जारी किया जाना चाहिए, जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।
- V. जहां तक ओबीसी प्रमाणपत्रों का सवाल है, ओबीसी दर्जे की शर्त के साथ-साथ भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार 'क्रीमी लेयर' से बाहर रखे जाने की शर्त को पूरा किया जाना है, न कि संबंधित राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार। ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र नवीनतम होना चाहिए। ओबीसी प्रमाणपत्र भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए लागू प्रारूप में होना चाहिए, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्रीमी लेयर मानदंडों को पूरा करने वाले प्रासंगिक भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में हो, न कि राज्य सरकार के आदेशों के संदर्भ वाले किसी भी राज्य में नियुक्ति के लिए। ओबीसी उम्मीदवार की पात्रता भारत सरकार की केंद्रीय सूची में शामिल जातियों के आधार पर होगी। उनकी उपजाति ओबीसी की केंद्रीय सूची में प्रविष्टियों के साथ मेल खानी चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी को किसी भी लागू आरक्षित श्रेणी के तहत नहीं माना जाएगा और यदि अन्यथा योग्य हो तो उसे अनारक्षित माना जाएगा।

VI. ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) को अपने दावे के समर्थन में एक 'घोषणा पत्र' (अनुलग्नक III) भी प्रस्तुत करना होगा कि वे पिछले तीन वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर ओबीसी (क्रीमी लेयर) श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।

VII. विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और अपने पतियों से न्यायिक रूप से अलग रह रही और पुनर्विवाह न करने वाली महिलाओं के लिए ऊपरी आय सीमा 35 वर्ष तक शिथिलनीय है। इस उप-अनुच्छेद के अंतर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे:

- विधवा के मामले में, उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र कि उन्होंने उसके बाद से पुनर्विवाह नहीं किया है।
- तलाकशुदा महिलाओं और अपने पतियों से न्यायिक रूप से अलग हो चुकी महिलाओं के मामले में, तलाक या न्यायिक पृथक्करण के तथ्य को साबित करने के लिए उपयुक्त न्यायालय के निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो, तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में एक शपथ पत्र के साथ कि उन्होंने उसके बाद से पुनर्विवाह नहीं किया है।

VIII. दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूबीडी) को आयु में छूट:

भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार निम्नलिखित मानक दिव्यांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में 10 (दस) वर्ष की छूट दी जाएगी। [इसका तात्पर्य यह है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम 15 वर्ष की छूट मिलेगी, जिसमें उनकी संबंधित श्रेणियों के लिए 5 वर्ष की छूट शामिल है। इसी प्रकार, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों को अधिकतम 13 वर्ष तक की छूट मिलेगी, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 3 वर्ष की छूट शामिल है।]

(i)	श्रेणी (क)	अंधत्व और अल्प दृष्टि;
(ii)	श्रेणी (ख)	बधिर और कम सुनने वाले;
(iii)	श्रेणी (ग)	मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास सहित गतिजन्य दिव्यांगता;
(iv)	श्रेणी (घ)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक बीमारी;
(v)	श्रेणी (ङ)	बहु-दिव्यांगता - पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों (क) से (घ) में से दो या दो से अधिक अलग अलग-दिव्यांगताएँ;

नोट: उपरोक्त निर्दिष्ट दिव्यांगताओं की परिभाषा "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" के अनुसार होगी।

दिव्यांगजनों को आयु में छूट इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना स्वीकार्य होगी कि पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित है या नहीं, बशर्ते कि पद दिव्यांगता की प्रासंगिक श्रेणी के लिए उपयुक्त हो।

इस उप-पैरा के अंतर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्ति पदों में शर्तों/आरक्षण में छूट के लिए तभी पात्र होंगे जब वे **प्रासंगिक मानक दिव्यांगता के 40% से कम न हों**। ऐसे उम्मीदवारों को समय-समय पर यथासंशोधित, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी, दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 15.06.2017 की अधिसूचना संख्या GSR 591(E) के तहत जारी) में निर्दिष्ट प्रपत्र V, VI और VII (जैसा भी मामला हो) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों द्वारा कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है, कृपया ध्यान दें, पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को अपने आवेदन में अपनी जाति/समुदाय जैसे एससी/एसटी/ओबी/जनरल/ईडब्ल्यूएस का उल्लेख करना चाहिए और यदि लागू हो तो संबंधित जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि यह एक क्षैतिज आरक्षण है।

पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के तहत किसी उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए तभी पात्र माना जाएगा, जब वह सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समूह "सी" पदों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा फिटनेस के मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट पाया जाएगा।

- IX. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को भूतपूर्व सैनिकों के लिए वास्तविक आयु में से प्रदान की गई सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद ऊपरी आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट दी जाएगी।

केवल उन उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 757 (ई) संख्या 36034/1/2006-स्था. (आरईएस) दिनांक 04.10.2012, समय-समय पर संशोधित, में निर्धारित परिभाषा और मानदंडों को पूरा करते हैं।

ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के पश्चात् नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप सी पदों पर सिविल सेवा में रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए **पात्र नहीं हैं।**

- X. दिव्यांग वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि उनकी उम्मीदवारी तब तक अनंतिम रहेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा उनके अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग वर्ग से संबंधित होने के प्रमाण पत्र का सत्यापन/पुष्टि नहीं कर ली जाती। जिन अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षित पद पर अनंतिम रूप से नियुक्त किया जाना है, उन्हें चेतावनी दी जाती है कि यदि सत्यापन से पता चलता है कि उनका अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग वर्ग से संबंधित होने का दावा, जैसा भी मामला हो, झूठा है, तो बिना कोई और कारण बताए उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी और झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत की जा सकने वाली आगे की कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- XI. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों आदि के कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में छूट का कोई प्रावधान नहीं है।

- **बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों, और (ii) 40% से कम बेंचमार्क दिव्यांगता वाले और लेखन में कठिनाई का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय का प्रावधान :**

- (a) अंधेपन, चलने-फिरने में अक्षमता (दोनों भुजाएं प्रभावित-बी.ए.) और मस्तिष्क पक्षाघात की श्रेणी में मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि अभ्यर्थी चाहें तो प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाती है।
- (b) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में, स्क्राइब का प्रावधान संलग्न अनुलग्नक के अनुसार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उपलब्ध होगा कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक सीमा है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है।
- (c) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं.29-6/2019-डीडी-III दिनांक 10.08.2022 के अनुसार, निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, अर्थात् **40% से कम दिव्यांगता वाले और लेखन में कठिनाई का सामना करने वाले व्यक्ति**, उन्हें स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा इस विज्ञापन में संलग्न अनुबंध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन दी जाएगी जो कि सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान

के सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण की ओर से जारी किया जाता है, जिसमें उल्लेखित हो कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में कठिनाई है और संलग्न अनुबंध के अनुसार परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। प्रमाणन के प्रयोजन के लिए चिकित्सा प्राधिकरण एक बहु-सदस्यीय प्राधिकरण होना चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:

- (i) मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी-अध्यक्ष
- (ii) हड्डी रोग/पीएमआर विशेषज्ञ
- (iii) न्यूरोलॉजिस्ट, यदि उपलब्ध हो*
- (iv) नैदानिक मनोवैज्ञानिक/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक/विशेष शिक्षक
- (v) व्यावसायिक चिकित्सक, यदि उपलब्ध हो*
- (vi) उम्मीदवार की स्थिति के आधार पर अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य विशेषज्ञ

(*मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी निकटतम जिले या मेडिकल कॉलेज/संस्थान से न्यूरोलॉजिस्ट, व्यावसायिक चिकित्सक को शामिल करने के लिए पूर्ण प्रयास कर सकते हैं, यदि जिले में वे उपलब्ध नहीं हैं)। उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी। अपने दावे के समर्थन में अनुलग्नक प्रस्तुत करें।

- (d) उम्मीदवार को अपने स्वयं के स्क्राइब या सीएसआईआर-एनईआईएसटी द्वारा प्रदान की गई स्क्राइब सुविधा का चयन करने का विवेकाधिकार होगा। इस संबंध में उचित विकल्प उम्मीदवार को आवेदन प्रपत्र भरते समय देना होगा।
- (e) यदि अभ्यर्थी स्क्राइब का विकल्प चुनता है, तो स्क्राइब की योग्यता हमेशा मैट्रिकुलेशन या उससे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन परीक्षा की न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्क्राइब इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए।
- (f) स्वयं के स्क्राइब का विकल्प चुनने वाले बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार को इस विज्ञापन के साथ संलग्न अनुलग्नक के अनुसार स्वयं के स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, स्क्राइब को परीक्षा के समय एक वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आदि) मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार और स्क्राइब द्वारा हस्ताक्षरित स्क्राइब के पहचान पत्र की एक फोटोकॉपी इस विज्ञापन के साथ संलग्न अनुलग्नक में दिए गए प्रोफार्मा के साथ जमा करनी होगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि स्क्राइब की योग्यता उम्मीदवार द्वारा घोषित योग्यता के अनुरूप नहीं है, तो अभ्यर्थी उक्त पद पर अपने अधिकार एवं उससे संबंधित सभी दावों को खो देगा/देगी।
- (g) उपरोक्तानुसार, जिन व्यक्तियों को स्क्राइब की सुविधा दी गई है, उन्हें परीक्षा के दौरान प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। पिछले उप-अनुच्छेद (b) और (c) में उल्लिखित वे अभ्यर्थी जो स्क्राइब की सुविधा के लिए पात्र हैं, लेकिन स्क्राइब (स्क्राइब) की सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें भी परीक्षा के दौरान प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
- (h) पात्र अभ्यर्थी के स्क्राइब के अलावा किसी अन्य परिचारक को परीक्षा हॉल के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (i) आंशिक रूप से दृष्टिबाधित अभ्यर्थी जो सामान्य प्रश्नपत्र को आवर्धक लेंस से या उसके बिना पढ़ सकते हैं और आवर्धक लेंस की सहायता से उत्तर लिखना/संकेतित करना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा कक्ष में आवर्धक लेंस का उपयोग करने की अनुमति होगी और उन्हें स्क्राइब की सुविधा नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में अपना आवर्धक लेंस स्वयं लाना होगा।
- (j) जिन दिव्यांगजन उम्मीदवारों ने स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें लिखित परीक्षा के समय और बाद में, आवश्यकतानुसार स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की पात्रता के लिए प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने पर उनकी परीक्षा के लिए उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

C. चयन का तरीका और परीक्षा योजना:

चयन की विधि और परीक्षा की योजना की सूचना उचित समय पर दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे CSIR-NEIST की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।

D. आवेदन शुल्क:

- I. जनरल/ ओबीसी / ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को **एसबी कलेक्ट(SB Collect)** के माध्यम से **500/- रुपये** का आवेदन शुल्क देना होगा।
- II. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक/महिला/सीएसआईआर कर्मचारी वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है।
- III. किसी अन्य माध्यम से भुगतान किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा आवेदन को बिना आवेदन शुल्क के माना जाएगा तथा अमान्य मानकर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

E. आवेदन कैसे करें:

- a. पात्र अभ्यर्थियों को सीएसआईआर-एनईआईएसटी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- b. ऑनलाइन आवेदन सीएसआईआर-एनईआईएसटी वेबसाइट <https://www.neist.res.in> पर उपलब्ध होगा [05.05.2026 को सुबह 08:30 बजे से 04.06.2026 को 17:00 बजे तक]
- c. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए (सीएसआईआर-एनईआईएसटी कैरियर पोर्टल पर उपलब्ध) निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- d. **इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की जटिलताओं से बचने के लिए समय पर आवेदन करें।**
- e. एक से अधिक पोस्ट कोड के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में पद का पोस्टकोड दर्शाते हुए अलग-अलग आवेदन जमा करने होंगे। **प्रत्येक आवेदन के साथ पृथक एसबी कलेक्ट भुगतान रसीद संलग्न करना होगा।**
- f. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए उम्मीदवारों को **स्टेट बैंक कलेक्ट(SB Collect)** के माध्यम से 500/- रुपये (केवल पांच सौ रुपये) का गैर-वापसी योग्य शुल्क अदा करना होगा। शुल्क के सफल भुगतान के बाद उत्पन्न ट्रांजैक्शन संख्या/यूटीआर संख्या ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित करना आवश्यक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसे(एसबी कलेक्ट रसीद) डाउनलोड कर लें तथा भविष्य में संचार के लिए उसे सुरक्षित रखें।

(स्टेट बैंक कलेक्ट → एजुकेशनल इंस्टीट्यूट → डायरेक्टर एनईआईएसटी → पेमेंट कैटेगरी → एप्लीकेशन फीस → पोस्ट कोड → पेमेंट करें)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांग /भूतपूर्व सैनिक/महिला/सीएसआईआर कर्मचारी वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

- g. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 04.06.2026 है।
- h. विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए ग्रेड आदि प्रदान करने के मामले में, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने विश्वविद्यालय/संस्थान के अनुसार फार्मूले के आधार पर इसे प्रतिशत में परिवर्तित करें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय इस प्रतिशत का उल्लेख उचित स्थान पर करें।

- i. ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरी तरह भरने के बाद, उम्मीदवार भविष्य में सूचना हेतु ऑनलाइन जनरेट किए गए भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अवश्य ले लें। **आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।**
- j. एक बार आवेदन करने के बाद उसे वापस नहीं लिया जाएगा तथा भुगतान की गई फीस किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी और न ही उसे किसी अन्य भर्ती या चयन प्रक्रिया के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा।
- k. सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों, सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी संस्थानों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों के आवेदन पर तभी विचार किया जाएगा जब वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी किया गया **अनापत्ति प्रमाण पत्र/ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) और विजिलेंस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र** ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा, ऐसे उम्मीदवारों को, जब कौशल परीक्षा/प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए चुना जाएगा, तो उन्हें **अनापत्ति प्रमाण पत्र/ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC)** प्रस्तुत करना होगा तथा उनके ऐसा न करने पर उम्मीदवार को कौशल परीक्षण/प्रतियोगी लिखित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- l. अभ्यर्थियों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कारण से, अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को सीएसआईआर-एनईआईएसटी, जोरहाट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- m. अपूर्ण ऑनलाइन आवेदनों (अर्थात फोटोग्राफ, हस्ताक्षर अपलोड किए बिना, आवेदन शुल्क का भुगतान (जहां भी लागू हो) किए बिना, अनिवार्य प्रमाण पत्र/प्रशंसापत्र अपलोड किए बिना) पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- n. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी क्षेत्रों को सत्यापित करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण और सही है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन के संबंधित क्षेत्रों में फोटोग्राफ और हस्ताक्षर संलग्न किए गए हों।
- o. इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी, जैसे ट्रेड टेस्ट/प्रतियोगी लिखित परीक्षा की तिथि, समय और स्थान, कोई भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र या पदों की संख्या में कोई परिवर्तन/पदों का निरस्तीकरण आदि, केवल सीएसआईआर-एनईआईएसटी की वेबसाइट <https://www.neist.res.in> पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। **किसी भी अपडेट के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से सीएसआईआर-एनईआईएसटी की वेबसाइट देखते रहें।**
- p. कोई अंतरिम जांच या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

■ **दुराचार/अनुचित साधनों के प्रयोग का दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:**

उम्मीदवारों को उनके अपने हित में यह सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय कोई भी ऐसी जानकारी न दें जो झूठी, बदली हुई या मनगढ़ंत हो, और न ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाएँ। ट्रेड टेस्ट/कौशल परीक्षण/लिखित परीक्षा के समय, या बाद की किसी चयन प्रक्रिया में, या पद पर चयन/नियुक्ति के बाद भी, यदि कोई उम्मीदवार निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है (या पाया गया है):

- a. गलत तरीकों का इस्तेमाल करना; या
- b. किसी दूसरे की नकल करना या किसी से नकल करवाना; या
- c. परीक्षा/ट्रेड टेस्ट/स्किल टेस्ट की जगह पर गलत व्यवहार करना या टेस्ट के कंटेंट या उसमें दी गई किसी भी जानकारी को किसी भी रूप में या किसी भी तरीके से, बोलकर या लिखकर, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकली किसी

भी मकसद के लिए बताना, पब्लिश करना, दोबारा बनाना, भेजना, स्टोर करना या भेजने और स्टोर करने में मदद करना; या

d. अपनी कैंडिडेचर के लिए कोई भी गलत या गलत तरीका अपनाना; या

e. गलत तरीकों से अपनी कैंडिडेचर के लिए सपोर्ट पाना; या

f. परीक्षा/टेस्ट की जगह पर मोबाइल फोन या कम्युनिकेशन के ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना, ऐसा उम्मीदवार, अपने आप को आपराधिक अभियोजन का पात्र बनाने के अलावा, निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है:

- (i) उस परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जाना, जिसका वह उम्मीदवार है;
- (ii) CSIR या उसके किसी संस्थान/प्रयोगशाला द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से, या तो स्थायी रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए, वंचित किया जाना;
- (iii) सेवा की समाप्ति, यदि उसने पहले ही परिषद की सेवा में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

सक्षम प्राधिकारी, CSIR-NEIST, इस मामले की रिपोर्ट पुलिस/जांच एजेंसियों को भी कर सकता है, जैसा वह उचित समझे; साथ ही, सक्षम प्राधिकारी इस मामले की जांच संबंधित अधिकारियों/फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा करवाने के लिए भी उचित कार्रवाई कर सकता है।

➤ **ऑनलाइन आवेदन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों को पीडीएफ के रूप में अपलोड करना आवश्यक है (प्रत्येक दस्तावेज 1 एमबी से अधिक नहीं):**

- i. एसएससी/10वीं प्रमाणपत्र और मार्कशीट (जन्मतिथि दर्शाते हुए)
- ii. इंटरमीडिएट/10+2/डिप्लोमा प्रमाणपत्र और मार्कशीट
- iii. आईटीआई प्रमाणपत्र (जहां भी लागू हो)
- iv. जहां भी लागू हो, विशिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नवीनतम जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र आदि।
- v. ड्राइविंग लाइसेंस (जहां भी लागू हो)
- vi. विजिलेंस क्लियरेंस प्रमाणपत्र के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहां भी लागू हो)
- vii. उच्च योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।
- viii. एसबी कलेक्ट(State Bank Collect) भुगतान रसीद
- ix. आयु में छूट के लिए दिव्यांगजनों(PwBD)/महिलाओं से संबंधित प्रमाण पत्र (जहां भी लागू हो), निर्धारित प्रारूप में।
- x. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या नगर निगम या किसी अन्य निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, जिसे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत भारत में जन्मे बच्चे के जन्म को पंजीकृत करने का अधिकार दिया गया है (केवल तभी जब माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न किया गया हो)
- xi. कोई अन्य प्रासंगिक प्रमाण पत्र/दस्तावेज।

हस्ताक्षरित/-
प्रशासन नियंत्रक

अनुलग्नकों की सूची

क्र.सं.	अनुलग्नक संख्या	अनुलग्नकों का विवरण	पृष्ठ सं.
1	अनुलग्नक - I	भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप	14-15
2	अनुलग्नक - II	भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप	16
3	अनुलग्नक - III	ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र (समुदाय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)	17
4	अनुलग्नक - IV	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र का प्रपत्र।	18
5	अनुलग्नक - V	फॉर्म - V दिव्यांगता प्रमाणपत्र	19
6	अनुलग्नक - VI	फॉर्म - VI दिव्यांगता प्रमाणपत्र	20-21
7	अनुलग्नक - VII	फॉर्म - VII दिव्यांगता प्रमाणपत्र	22-23
8	अनुलग्नक - VIII	सीएसआईआर में वर्तमान में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत उम्मीदवार के नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' का प्रारूप	24
9	अनुलग्नक - IX	आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, यानी 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति।	25
10	अनुलग्नक - X	आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति द्वारा वचन पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति।	26
11	अनुलग्नक - XI	स्क्राइब का उपयोग करने के लिए वचन पत्र	27
12	अनुलग्नक - XII	परीक्षार्थी की लिखने की शारीरिक सीमा के संबंध में प्रमाण पत्र	28
13	अनुलग्नक - XIII	सशस्त्र बलों के कार्मिकों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए आयु में रियायत का लाभ उठाने के लिए सेवारत/ सेवानिवृत्त/ मुक्तिप्राप्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र	29-31

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*.....
पुत्र/पुत्री*.....गांव/शहर*.....जिला/संभाग*.....
..राज्य/संघ शासित प्रदेश*.....के.....जाति/जनजाति* से संबंधित हैं
जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

- @ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950
- @ संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950
- @ संविधान (अनुसूचित जातियां) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
- @ संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976; मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986; अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा संशोधित।]

- @ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- @ संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित
- @ संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- @ संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
- @ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- @ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
- @ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- @ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- @ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- @ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- @ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- @ संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991
- @ संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991
- @ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2007

%2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे में प्रवास कर गए हैं,

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती*.....पिता/माता
श्री/श्रीमती/कुमारी*.....के गांव/कस्बा/क्षेत्र**.....जिला

/मंडल*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.....के जो उस जाति/जनजाति* से संबंधित हैं जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है, को दिनांक.....को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

%3. श्री/श्रीमती/कुमारी*.....और/या* उनका/उनकी* फैमिली सामान्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* केजिला/मंडल* के गांव/कस्बे*.....में निवास करती है।

हस्ताक्षर.....

**पद का नाम.....।

(कार्यालय की मुहर के साथ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*
स्थान:.....
दिनांक:.....

* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू न हों।
@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें।
% जो पैराग्राफ़ लागू न हो उसे हटा दें

नोट: यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करते हैं" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारियों की सूची

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हों।
- (iv) उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है
- (v) प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

टिप्पणी:

तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केवल राजस्व प्रभागीय अधिकारी से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी _____ पुत्र/पुत्री
 _____ गांव/कस्बा _____ जिला/मंडल _____ वह _____ समुदाय
 से संबंधित है जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या
 _____ दिनांक _____ * के तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है और/या
 उसका परिवार सामान्यतः _____ राज्य/संघ शासित प्रदेश के
 _____ जिला/मंडल में रहता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार,
 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93- स्थापना (एससीटी) दिनांक 8.9.1993, कार्यालय
 ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्थापना (निवास) दिनांक 09 मार्च, 2004, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/204-स्थापना
 (निवास) दिनांक 14 मार्च, 2004 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।
 अक्टूबर, 2008 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण) दिनांक 27 मई, 2013 **

हस्ताक्षर _____

पदनाम _____ \$

दिनांक :

मुहर:

*_ प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का विवरण देना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति ओबीसी के रूप में उल्लिखित है।

**_ समय-समय पर संशोधित।

\$ - अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची

- जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।
- मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- तहसीलदार के पद से नीचे न हों ।
- उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है
- प्रशासनिक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

नोट: यहां प्रयुक्त शब्द " सामान्यतः" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

**ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र
(सामुदायिक प्रमाणपत्र के अतिरिक्त)**

मैं _____ पुत्र/पुत्री श्री _____ निवासी
गांव/कस्बा/शहर _____ जिला _____ राज्य _____ एतद्वारा घोषणा
करता/करती हूँ कि मैं _____ समुदाय से हूँ जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय
ज्ञापन संख्या 36102/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 8-9-1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण
के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं
उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8-9-1993, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004- स्था.(आरक्षण) दिनांक 09
मार्च, 2004 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 तथा समय-समय पर संशोधित अनुसूची के
स्तंभ 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे माता-पिता/संरक्षक की क्रीमी लेयर के लिए स्थिति/वार्षिक आय की शर्त
आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित सीमा के भीतर है।

हस्ताक्षर _____

पूरा नाम _____

पता _____

स्थान : _____

दिनांक : _____

सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र

**भारत सरकार
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)**

प्रमाणपत्र संख्या.....

दिनांक :.....

वर्ष के लिए वैध

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी के स्थायी निवासी हैं।..... गाँव/गली, डाकघर,..... जिला राज्य/संघ शासित प्रदेश में पिन कोड जिसका फोटो नीचे सत्यापित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, क्योंकि उसके/उसकी परिवार की सकल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष के लिए 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है।

परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है या उसके पास नहीं है :

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
- II. 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/ कुमारी जाति से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

आवेदक का
नवीनतम
पासपोर्ट आकार
का स्व-सत्यापित
फोटो

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर

नाम.....

पद का नाम।.....

**सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन**

The Innovative Engine of India

*नोट 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

**नोट 2: इस प्रयोजन के लिए 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

***नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया गया है।

फॉर्म - V

दिव्यांगता प्रमाणपत्र

(अंगों के विच्छेदन या पूर्णतः स्थायी पक्षाघात या बौनेपन और अंधेपन के मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

विकलांग व्यक्ति का नवीनतम पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखाते हुए)

प्रमाणपत्र संख्या _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती /कुमारी _____ की सावधानीपूर्वक जांच की है।

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ जन्म तिथि _____

(दिन/माह/वर्ष) आयु _____ वर्ष , पुरुष/महिला _____ पंजीकरण संख्या _____ मकान

संख्या _____ वार्ड/गांव/गली _____ डाकघर

_____ जिला _____ राज्य _____ जिसका फोटो ऊपर चिपका

हुआ है, और मैं संतुष्ट हूँ कि

A. वह निम्नलिखित का मामला है:

- लोकोमोटर दिव्यांगता
- बौनापन
- अंधापन

(कृपया लागू होने पर टिक करें)

B.उसके मामले में निदान _____ है

C. दिशानिर्देशों के अनुसार उसके/उसकी _____ (शरीर का हिस्सा) के संबंध में _____ % (अंक में) _____ प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी लोकोमोटर दिव्यांगता/बौनापन/अंधापन है (दिशानिर्देशों की संख्या और जारी करने की तारीख निर्दिष्ट की जानी है)।

1. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर)
अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण)

फॉर्म-VI

**दिव्यांगता प्रमाणपत्र
(एकाधिक दिव्यांगता के मामलों में)**

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

प्रमाणपत्र संख्या _____ दिनांक: _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/ कुमारी की सावधानीपूर्वक जांच की है ।

विकलांग व्यक्ति का
नवीनतम पासपोर्ट आकार
का सत्यापित फोटोग्राफ
(केवल चेहरा दिखाते हुए)

पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) _____ आयु _____ वर्ष,

पुरुष/महिला। पंजीकरण संख्या _____ मकान संख्या _____ वार्ड/गांव/गली

_____ डाकघर _____ जिला _____

राज्य _____, जिसका फोटो ऊपर चिपका हुआ है, का स्थायी निवासी हूं और मैं संतुष्ट हूं कि:

- A. वह बहु-दिव्यांगता का मामला है। उसकी स्थायी शारीरिक दिव्यांगता/दिव्यांगता की सीमा का मूल्यांकन नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों (दिशा-निर्देशों की संख्या और जारी करने की तिथि निर्दिष्ट की जानी है) के अनुसार किया गया है, और इसे नीचे दी गई तालिका में संबंधित दिव्यांगता के सामने दर्शाया गया है:

क्रम संख्या	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित हिस्सा	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/मानसिक दिव्यांगता (% में)
1	लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2	मांसपेशीय दुर्बिकास			
3	कुष्ठ रोग ठीक हो गया			
4	बौनापन			
5	मस्तिष्क पक्षाघात			
6	एसिड अटैक पीड़िता			
7	कम दृष्टि	#		
8	अंधापन	#		
9	बहरा	€		
10	सुनने में कठिन	€		
11	वाक् और भाषा दिव्यांगता			
12	बौद्धिक दिव्यांगता			

13	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
14	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
15	मानसिक बिमारी			
16	क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां			
17	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
18	पार्किंसंस रोग			
19	हीमोफीलिया			
20	थैलेसीमिया			
21	सिकल सेल रोग			

B. उपरोक्त के आलोक में, दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता (दिशानिर्देशों की संख्या और जारी करने की तारीख निर्दिष्ट की जानी है) निम्नानुसार है:

आंकड़ों में _____ प्रतिशत ,
शब्दों में _____ प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगतिशील/गैर-प्रगतिशील/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन:

- (i) आवश्यक नहीं है या
(ii) अनुशंसित है/ _____ वर्ष _____ महीनों के बाद,
_(दिन/माह/वर्ष) तक वैध रहेगा

@ - उदाहरणार्थ : बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

- उदाहरणार्थ : एक आँख/दोनों/आँखें

€ - उदाहरणार्थ : बायां / दायां / दोनों कान

4. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

फॉर्म-VII
दिव्यांगता प्रमाणपत्र
(फॉर्म V और VI में उल्लिखित मामलों के अलावा अन्य मामलों में)
[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

हाल ही में प्रमाणित
 पासपोर्ट आकार
 फोटोग्राफ (केवल
 चेहरा दिखाते हुए)
 दिव्यांग व्यक्ति का

प्रमाणपत्र संख्या _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती /कुमारी _____ की सावधानीपूर्वक जांच की है

श्री का पुत्र/पत्नी/पुत्री _____ जन्म तिथि (दिन/माह/ वर्ष) _____

आयु _____ वर्ष, पुरुष/महिला _____ पंजीकरण संख्या _____

मैं मकान संख्या _____ वार्ड/गांव/गली _____ डाकघर _____ जिला

_____ राज्य _____ का स्थायी निवासी हूं, जिसका फोटो ऊपर चिपका हुआ है, और मैं संतुष्ट हूं कि

वह _____ दिव्यांगता का मामला है, उसकी शारीरिक क्षति/दिव्यांगता के प्रतिशत की सीमा का मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है (दिशानिर्देशों की संख्या और जारी करने की तारीख निर्दिष्ट की जानी है) और नीचे दी गई तालिका में प्रासंगिक दिव्यांगता के सामने दिखाया गया है:

एस। नहीं।	दिव्यांगता	प्रभावित हिस्सा	निदान	स्थायी शारीरिक/मानसिक दुर्बलता दिव्यांगता (% में)
1.	लोकोमोटर दिव्यांगता			
2.	मांसपेशीय दुर्बिकास			
3.	कुष्ठ रोग ठीक हो गया			
4.	मस्तिष्क पक्षाघात			
5.	एसिड अटैक पीड़िता			
6.	कम दृष्टि	#		
7.	बहरा	€		
8.	सुनने मे कठिन	€		
9.	वाक् और भाषा दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11।	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
12.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बिमारी			

14.	क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां			
15.	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
16.	पार्किंसंस रोग			
17.	हीमोफीलिया			
18.	थैलेसीमिया			
19.	सिकल सेल रोग			

(कृपया उन अक्षमताओं को काट दें जो लागू नहीं होती हैं)

2. उपरोक्त स्थिति प्रगतिशील/गैर-प्रगतिशील/सुधार की संभावना/ सुधार की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मुल्यांकन इस प्रकार है:

(i) आवश्यक नहीं

या

(ii) वर्ष महीने के बाद अनुशंसित किया जाता है,
और इसलिए यह प्रमाणपत्र (दिन/माह/वर्ष) तक वैध रहेगा।

@ - उदाहरणार्थ : बायां/दायां/ दोनों हाथ /पैर

- उदाहरणार्थ : एक आँख/दोनों आँखें

€ - उदाहरणार्थ : बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण
---------------------	-------------------	---

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

सीएसआईआर
CSIR

(नाम और मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

(प्रतिहस्ताक्षर और मुहर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/

सरकार के मुखिया,

यदि यह प्रमाण-पत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा

जारी किया जाता है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है

(मुहर सहित)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

नोट: यदि यह प्रमाण-पत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो यह तभी वैध होगा जब जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

उम्मीदवार के नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' का प्रारूप

(वर्तमान में सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत)

(संस्था/जारीकर्ता प्राधिकारी का पत्र शीर्ष)

क्र.....

दिनांक: [दिन/माह/वर्ष]

विज्ञापन संख्या [विज्ञापन क्रमांक] पर आवेदन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. /श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम], [पदनाम], इस विभाग/संगठन के स्थायी/नियमित कर्मचारी हैं तथा [कार्यभार ग्रहण तिथि] से [वर्तमान पद] के पद पर कार्यरत हैं।

इस विभाग/संगठन को विज्ञापन संख्या [विज्ञापन संख्या] दिनांक [विज्ञापन तिथि] के तहत विज्ञापित [पोस्ट कोड/पद] पद के लिए उनके आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है। इस विभाग/संगठन को डॉ. /श्री/सुश्री [कर्मचारी का नाम] के चयन प्रक्रिया में भाग लेने या नए पद पर उपर्युक्त नियुक्ति के लिए विचार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. /श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम] वर्तमान में लागू आचरण नियमों के तहत किसी दंड का सामना नहीं कर रहे हैं और डॉ. /श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम] न तो निलंबित हैं, न ही इस प्रमाण पत्र के जारी होने की तिथि तक उनके खिलाफ कोई सतर्कता, अनुशासनात्मक या आपराधिक मामला लंबित है।

यह प्रमाण पत्र उक्त विज्ञापन पर आवेदन करने के उद्देश्य से आवेदक के अनुरोध पर जारी किया जाता है।

स्थान:

सीएसआईआर
CSIR

भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

[विभाग/संगठन का नाम] के लिए,

[जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर]

[जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम]

[जारीकर्ता प्राधिकारी का पदनाम]

[आधिकारिक मुहर/स्टाम्प]

[संपर्क जानकारी]

[विभाग/संगठन का पता]

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/सुश्री/श्रीमती _____ (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/ पुत्री _____, जो _____ (गाँव /डाकघर/पुलिस थाना/जिला/राज्य) के निवासी हैं, जिनकी आयु _____ वर्ष है, और जो _____ (दिव्यांगता/स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित हैं, की जाँच की है और यह बताया है कि उपरोक्त स्थिति के कारण उनकी लेखन क्षमता में बाधा आ रही है। उन्हें परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी सहायक उपकरण और सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम निर्दिष्ट किया जाए) का उपयोग करता है, जो अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और यह _____ तक वैध है (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)
आर्थोपेडिक/ पीएमआर SPECIALIST	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध हो)	अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई भी)
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी.....अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल का नाम /
सील के साथ स्वास्थ्य देखभाल केंद्र

स्थान:

दिनांक:

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया वचन पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले व्यक्ति, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति।

मैं, _____ (दिव्यांगता/स्थिति की प्रकृति) _____
_____ वाला अभ्यर्थी हूँ, जो _____
_____ जिले में _____ (केंद्र का नाम) पर _____ रोल
नंबर के साथ (परीक्षा का नाम) के लिए उपस्थित हो रहा हूँ _____। _____ (_____
राज्य का नाम) मेरी शैक्षिक योग्यता है _____।

1. मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि (स्क्राइब का नाम) उपर्युक्त _____ परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा उपलब्ध कराएगा।
2. मैं इसके द्वारा वचन देता/देती हूँ कि उसकी योग्यता _____ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित योग्यता के अनुरूप नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं पद पर अपने अधिकार और उससे संबंधित दावों को त्याग दूंगा/दूँगी।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर,
यदि अभ्यर्थी नाबालिग है)

स्थान-

दिनांक-

सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

स्क्राइब का उपयोग करने के लिए वचन पत्र

मैं _____ (नाम), जो _____ (दिव्यांगता का नाम) के साथ परीक्षा में अभ्यर्थी हूँ। मैं _____ (केंद्र का नाम), जिला _____, _____ (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम) में _____ (परीक्षा का नाम) की परीक्षा, रोल नंबर _____ के साथ दे रहा हूँ। मेरी योग्यता _____ है।

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि _____ (स्क्राइब का नाम) उपर्युक्त परीक्षा लेने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा उपलब्ध कराएगा।

मैं एतद्वारा यह वचन देता/देती हूँ कि उसकी योग्यता _____ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित योग्यता के अनुरूप नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं पद और उससे संबंधित अपने अधिकारों को त्याग दूँगा/दूँगी।

**सीएसआईआर
CSIR**

(दिव्यांग उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान: _____

दिनांक: _____

भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

परीक्षार्थी की लिखने की शारीरिक सीमा के संबंध में प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि, मैंने श्रीमान/सुश्री/श्रीमती _____
(दिव्यांग उम्मीदवार का नाम), जो _____ (दिव्यांगता प्रमाण पत्र
में उल्लिखित दिव्यांगता की प्रकृति और प्रतिशत), पुत्र/पुत्री _____ जो
_____ (गांव/जिला/राज्य) का निवासी है, का परीक्षण किया है और यह बताना
है कि वह शारीरिक रूप से दिव्यांग है, जो उसकी दिव्यांगता के कारण उसकी लेखन क्षमता में बाधा डालता
है।

(हस्ताक्षर)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा
अधीक्षक
एक सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान का नाम और पदनाम
सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम मुहर सहित

स्थान: _____

दिनांक : _____

नोट : प्रमाणपत्र संबंधित विषय/दिव्यांगता के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए।

(उदाहरणार्थ: 1. दृष्टिबाधित - नेत्र रोग विशेषज्ञ;

2. लोकोमोटर दिव्यांगता - आर्थोपेडिक विशेषज्ञ/पीएमआर)

सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए आयु में रियायत प्राप्त करने हेतु
सेवारत/सेवानिवृत्त/सेवामुक्त सशस्त्र बल कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र

A. सेवामुक्त/सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए लागू प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि क्रमांक रैंक
नाम..... जिसकी जन्म तिथि है, ने सेना/नौसेना/वायुसेना में
..... से तक सेवा की है।

2. उन्हें सैन्य सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है:

% a) असाइनमेंट पूरा होने पर अन्यथा

i. बर्खास्तगी के माध्यम से, या

ii. कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी के माध्यम से, या

iii. अपने स्वयं के अनुरोध पर, लेकिन अपनी पेंशन अर्जित किए बिना, या

iv. ऐसी रिहाई लंबित रहने तक उसे रिजर्व में स्थानांतरित नहीं किया गया है

%b) सैन्य सेवा के कारण शारीरिक दिव्यांगता के कारण।

%c) कम से कम पांच वर्ष की सैन्य सेवा के बाद अशक्त होने पर

3. वह समय-समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्नियोजन) नियम, 1979 की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

स्थान:

दिनांक:

सीएसआईआर
CSIR

भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

हस्ताक्षर, नाम और पदनाम
सक्षम प्राधिकारी**

मुहर

% जो पैराग्राफ लागू न हो उसे हटा दें।

B. सेवारत कर्मियों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप

(उन सेवारत कर्मियों पर लागू जिन्हें एक वर्ष के भीतर सेवामुक्त किया जाना है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि क्रमांक रैंक.....
नाम..... सेना/नौसेना/वायु सेना में से सेवारत है।

2. उन्हें को अपने विशिष्ट कार्यकाल की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति मिल जाएगी।

3. उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक मामला लंबित नहीं है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर, नाम और पदनाम
सक्षम प्राधिकारी**

मुहर

उपरोक्त प्रमाण-पत्र B प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी (सेवारत कर्मिक) को निम्नलिखित वचन देना होगा:

सशस्त्र बल के सेवारत कर्मियों द्वारा दिया जाने वाला वचन, जिन्हें एक वर्ष के भीतर सेवामुक्त किया जाना है

मैं समझता/समझती हूँ कि यदि इस आवेदन से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर मेरा चयन होता है, तो मेरी नियुक्ति नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए मेरे द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र बलों से विधिवत रूप से कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कर दिया गया है और मैं समय-समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों में पुनर्नियोजन) नियम, 1979 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य लाभों का हकदार हूँ।

स्थान:

दिनांक:

CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

उम्मीदवार के हस्ताक्षर और नाम

C. सेवारत ECOS/SSCOS के लिए लागू प्रमाणपत्र का प्रारूप जिन्होंने अपना प्रारंभिक कार्यभार पहले ही पूरा कर लिया है और विस्तारित कार्यभार पर हैं

प्रमाणित किया जाता है कि क्रमांक रैंक नाम जिसकी जन्म तिथि है, वह से सेना/नौसेना/वायुसेना में सेवारत है।

2. उन्होंने पर पांच साल का अपना प्रारंभिक कार्यकाल पहले ही पूरा कर लिया है और तक विस्तारित कार्यकाल पर हैं।

3. सिविल रोजगार के लिए आवेदन करने पर कोई आपत्ति नहीं है और नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से चयन होने पर उसे तीन महीने के नोटिस पर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर, नाम और पदनाम
सक्षम प्राधिकारी**

मुहर

**आयु में रियायत प्राप्त करने के लिए सशस्त्र बल कार्मिकों को प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:

(a) ईसीओ/एसएससीओ सहित कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में:

सेना - सैन्य सचिव शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली

नौसेना - कार्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली

वायु सेना - कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली

(b) जेसीओ/ओआर और नौसेना एवं वायु सेना के समकक्ष के मामले में:

सेना - विभिन्न रेजिमेंटल रिकॉर्ड कार्यालयों द्वारा

नौसेना - BABS, मुंबई

वायु सेना - वायु सेना रिकॉर्ड्स, नई दिल्ली

The Innovation Engine of India